

भारतीय गैर-न्यायिक

भारत
रुपये

भारत

TEN

10

RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

(नियम 4 का देखिए)

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND निवाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड विधान सभा के लिये निर्वाचक 3AA/955202 लिये, रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र।

शपथ-पत्र

मैं, अनंतसुदूर नगरी पुत्र श्री लालातारा

आयु— 42 वर्ष, जो ग्राम— पालकोट, पट्टी— लालातारा

तहसील— जस्तननीलाल, जिला— ठिहरी गढ़वाल का निवासी हूँ, का
निवासी हूँ और उपरोक्त निवाचन में अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ शपथ

पर निम्नलिखित कथन करता हूँ—

1— मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय
किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले
न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया है/ किए गये हैं—
(यदि अमिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है, तो वह
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

i— मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं— लालातारा

ii— पुलिस थाना— लालातारा, जिला— लालातारा, राज्य— लालातारा

क्रमशः—2—पर



— A — B — B —

-2-

- सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अन्यर्थी आरोपित किया गया है— लाइन
- iv— न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई— लाइन
- v— तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गये थे— लाइन
- vi— क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है— लाइन
- 2— मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम—1951) (1951 का 43) की धारा—8 की उपधारा (1) या उप धारा (2) में निर्दिष्ट या उप धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, और वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है।
वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है।
(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :
- i— मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएँ— लाइन
- ii— न्यायालय, जिसने दण्डित किया है— लाइन
- iii— पुलिस थाना (थाने)— लाइन; जिला (जिलों)— लाइन/राज्य— लाइन
- iv— सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अन्यर्थी आरोपित किया गया है— लाइन
- v— तारीख (तारीखें) जिनको आरोप दण्डादेश सुनाया गया था / सुनाए गये थे— लाइन
- vi— क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गये हैं— लाइन

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

स्थान—
तारीख—

नई टिहरी।

10.01.2012

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथ पुङ्क के अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है, और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान नई टिहरी, दिनांक— 10.1.2012 को सत्यापित किया।

*I solemnly affirm by the deponent...
Solemnly affirmed by the deponent...
S/o Shri..... Lal Singh..... Ro.....
Dated..... 10.1.2012
Signature.....*

